न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–209 / 2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम पंकज कुमार सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
19/6/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–799 / म0नि0को0, दिनांक 22.08.2019 से प्राप्त सदर थाना कांड सं0–107 / 19 दिनांक 19.03.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन पैसन प्रो मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR07AA-1324 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांक 04.02.2020 से सदर थाना कांड सं0–107 / 19 दिनांक 19.03.2019 में जब्त वाहन मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR07AA-1324 को वाहन स्वामी द्वारा बंधपत्र, अंडरटेकिंग तथा वाहन के बीमित मूल्य के बराबर एक प्रतिभूति दाखिल करने के उपरान्त वाहन को विमुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। तदालोक में विपक्षी के द्वारा बंधपत्र, अंडरटेकिंग तथा प्रतिभूति के रूप में (1) आनन्द शंकर सिंह, पिता– बलदेव सिह, ग्राम–महिया, थाना–सकतपुर, जिला–दरभंगा का वाहन सं0–BR32AD-9027 (मोटरसाईकिल) कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–68,940/- (अड़सठ हजार नौ सौ चालीस रुपये मात्र) का (2) हेमन्त कुमार सिंह, पिता–जटाशंकर सिंह, ग्राम–महिया, थाना–सकतपुर, जिला–दरभंगा का वाहन सं0–BR32Y-8052 (मोटरसाईकिल) कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–55,290/- (पचपन हजार दो सौ नब्बे रुपये मात्र) का दाखिल किया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य मो0 42,805/- (बेयालिस हजार आठ सौ पाँच) रूपये मात्र है। दाखिल सभी कागजात विद्वान अधिवक्ता एवं विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है, जिसे सही पाकर स्वीकृत किया जाता है। अतएव दाखिल कागजात के आलोक में सदर थाना कांड सं0–107 / 19 दिनांक 19.03.2019 में जब्त पैसन प्रो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–BR07AA-1324 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, सदर थाना को दाखिल कागजात की छायाप्रति के साथ अनुपालनार्थ भेजें। आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें। उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा	

D:\2020\Excise Order\Pankaj Kumar Singh 209-2019 (Release-DM-1 .doc